International Journal of Advanced Research in Engineering Technology & Science ISSN: 2349-2819
Impact Factor: 7.10
(Peer-Reviewed, Open Access, Fully Refereed International Journal)
Email: editor@ijarets.org Volume-12, Issue-9 September – 2025 www.ijarets.org

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सरकारी विपणन व्यवस्था में लघु किसानों की आर्थिक स्थिति का एक अध्ययन

Dr Lalit Mohan Singh

प्रधानाचार्य, स्वामी कृष्णानंद इण्टर कॉलेज जलाली, अलीगढ (उत्तर प्रदेश)

lalitmohansingh1586@gmail.com

मो0 9458513450

सारांश, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना गेहूँ फसल प्रणाली ने भूजल की कमी और मिट्टी के क्षरण सहित कई महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पैदा की हैं, जिसके कारण विविधीकरण और स्थिरता के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) को अपनाना जरूरी हो गया है। इस शोध पत्र में यह व्यापक प्रणाली मोनोक्रॉपिंग मुद्दों के लिए एक स्थायी समाधान प्रदान करती है, जिससे कृषि परिवारों के लिए आय और लचीलापन बढ़ता है। सरकारी विपणन व्यवस्था लघु किसानों को अपनी उपज के लिए, उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद करती है। वे मंडियों में अपनी उपज बेच सकते हैं और बिचौलियों के शोषण से बच सकते हैं। विपणन के अवसर सरकारी विपणन व्यवस्था लघु किसानों को विपणन अवसरों तक पहुंच प्रदान करती है। वे अपने उत्पादों को विभिन्न मंडियों में बेच सकते हैं और अपने उत्पादों की ब्रांडिंग कर सकते हैं। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार भी होता है। सरकारी विपणन व्यवस्था लघु किसानों को कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद करती है। वे अपनी उपज को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं और उन्हें विभिन्न मंडियों में बेचने के लि, तैयार कर सकते हैं। कृषि उत्पादों का भंडारण सरकारी विपणन व्यवस्था लघु किसानों को कृषि उत्पादों का भंडारण करने में भी मदद करती है। वे अपनी उपज को सुरक्षित रूप से भंडार कर सकते हैं और बाद में बेच सकते हैं। कुल मिलाकर, सरकारी विपणन व्यवस्था लघु किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करता है।

मुख्य शब्द, रोजगार सृजन, एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस), आजीविका स्थिरता, पोषण सुरक्षा, संसाधन पुनर्चक्रण उचित मूल्य प्राप्त करना, लघु जोतधारक एव कृषि विपणन आदि।

प्रस्तावना, COVID–19 महामारी के तहत लधु लॉकडाउन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के अधिकांश भाग को बुरी तरह प्रभावित किया है कृषि को पुन आर्थिक विकास के इंजन और महत्त्वपूर्ण उपशामक के रूप में चर्चा के केंद्र में ला दिया है। वित्त मंत्री के द्वारा COVID&19 महामारी आर्थिक पैकेज के रूप में कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण के

लिये कृषि अवसंरचना को मजबूत करने तथा कृषि शासन संबंधी सुधारों के लिये अहम उपायों की धोषणा की गई थी। इस आर्थिक पैकेज के अधिकांश भाग के रूप में कृषि क्षेत्र में शासन, वं प्रशासन से संबंधित भी अनेक सुधारों की घोषणा की गई थी। कृषि संबंधी सुधारों की घोषणा, हाल ही में कृषि क्षेत्र में निम्नलिखित व्यापक परिवर्तनकारी सुधारों को लागू किया है जो इस प्रकार है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम –1955 में संशोधन, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) अध्यादेश, (Farmers* Produce Trade and Commerce)(Promotion and Facilitation) Ordinance& 2020;कृषि उपज मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता का आश्वासन, कृषि विपणन सुधार।

कृषि सुधारों का उद्देश्य, कृषि सुधारों के माध्यम 'किसान प्रथम' (Farmer First) अर्थात किसान को नीतियों के केंद्र में रखकर कार्य किया गया जिनके निम्नलिखित उद्देश्य हैं, कृषि–सेवाओं में रोजगार उत्पन्न करना,विपणन चौनलों में विकल्पों को बढ़ावा देना,कृषिद्वारा राष्ट्र के बाजार' की दिशा में कार्य करना अवसंरचना का विकास, मार्केट लिंकेज, फिनटेक और ग्रटेक में निवेश आकर्षित करनाखाद्य फसलों के स्टॉक प्रबंधन में पूर्वानुमान को अपनाना।

लघु जोत धारक किसानो की स्थिति, सामान्यत 2 हेक्टेयर से कम भूमि धारण करने वाले किसानों को लघु जोत धारक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लगभग 85% किसान लघु तथा सीमांत जोतधारक हैं।

क्र. सं.	समूह	भूमि धारण हेक्टेयर में
1	सीमांत	<1.0 हेक्टेयर
2	लघु	1.0<2.0 हेक्टेयर
3	अर्द्व माध्यम	2.0<4.0 हेक्टेयर
4	मध्यम	4.0<10.0 हेक्टेयर
5	बृहद	10.0 हेक्टेयर □□ अधिक

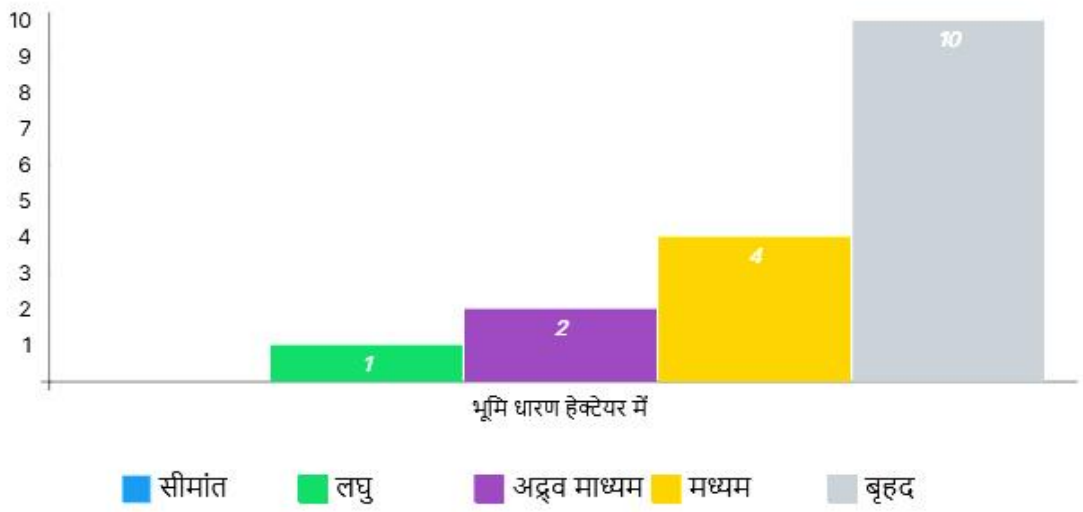

लघु जोत धारक किसानो की प्रमुख समस्याएँ, आज किसानों के लिये अपनाई जाने वाली सार्वजनिक नीति के प्रभाव तथा खेत के आकार में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, अर्थात इन नीतियों का छोटे जोतधारक किसानों पर विपरीत प्रभाव होता है। खाद्य सुरक्षा प्रभावित कृषि उत्पादन बढ़ाने की दिशा में अपनाई गई नीतियों यथा– कृषि आगतों को आपूर्ति, कृषि विस्तार सेवाएँ आदि लघु जोतधारकों की प्रतिस्पर्द्धा क्षमता तथा खुद को बाजार में बनाए रखने की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। जिससे देश की खाद्य प्रणाली भी प्रभावित होती है। कम आय की प्राप्ति लघु जोतधारकों की आय राष्ट्रीय औसत आय से बहुत कम है। लघु जोत धारकों की प्रति व्यक्ति आय 15,000 रुपए प्रति वर्ष है। यह राष्ट्रीय औसत आय के पाँचवे हिस्से के बराबर है। औपचारिक बाजार तक पहुँच का अभाव भारत में लगभग 220 बिलियन डॉलर के वार्षिक कृषि उत्पाद सीमांत खेतों पर उगाया जाता है तथा इसे लगभग 50 किमी. के दायरे में अनौपचारिक बाजारों में बेच दिया जाता है। औपचारिक (सार्वजनिक खरीद सहित) और अनौपचारिक बाजारों के सह–अस्तित्त्व के कारण कृषि उत्पादों तक पहुँच और मूल्य स्थिरता दोनों प्रभावित होती है। लघु जोतधारक किसानों को फसलों का अच्छा बाजार मूल्य तथा खरीददारों के विकल्प नहीं मिल पाते हैं। अवसंरचना का अभाव, बाजार तक फसल उत्पादों को लाने के लिये पर्याप्त लॉजिस्टिक संरचना का अभाव है। बड़े बाजारों और नगरों से भौतिक दूरी अधिक होने पर लघु जोतधारकों की आय में कमी होती है।

सुधारों की अब परम आवश्यकता, विपणन प्रणाली तथा अवसंरचना में सुधार अच्छी तरह से विनियमित बाजार की दिशा में निम्नलिखित सुधारों को लागू करने की आवश्यकता है। सुरक्षित और सस्ती भंडारण सुविधा भंडारण सुविधाओं में वृद्धि, बड़े कृषि प्रसंस्करण उद्यमियों, खुदरा विक्रेताओं को आकर्षित करेगी। गुणवत्ता प्रबंधन प्रौद्योगिकीय कार्यशील पूंजी कृषि उत्पादन तथा जलवायु परिवर्तन के साथ जुड़े जोखिमों से सुरक्षा की व्यवस्था। उदाहरण के लिये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म आधारित कृषि प्रबंधन प्रणाली सूचना संबंधी बाधाओं को दूर करते हैं। यह प्लेटफॉर्म ऋण पहुँच, जोखिम

प्रबंधन, मौसम जानकारी, फसल प्रबंधन सेवाएँ प्रदान करते हैं। 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (Farmer Producer Organisations&FPOs) की स्थापना जैसे मिशन लघु जोतधारकों को बाजार आधारित कृषि' उत्पादन की दिशा में प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।

ई–मार्केटप्लेस जैसी पहलों की आवश्यकता, जिला प्रशासन पर वाणिज्यिक विवाद निपटानों का समाधान करने के लिये पर्याप्त संसाधनों का अभाव है। प्रतिपक्ष जोखिम प्रबंधन के लिये एक उचित समाशोधन और निपटान तंत्र की आवश्यकता है। इस दिशा में ई–मार्केटप्लेस जैसी पहल को लागू किया जाना चाहिये। ऑनलाइन बिक्री की दिशा में छोटे जोतधारकों को मानक ग्रेड और गुणवत्ता–आधारित संदर्भ मूल्य अपनाने की आवश्यकता है। इसके लिये कृषि विपणन विस्तार सेवाओं का उपयोग किया जाना चाहिये। सभी खाद्य मानक कानूनों और विभिन्न व्यापार मानकों को अच्छे उत्पादों की आपूर्ति की समझ के साथ संरेखित किया जाना चाहिये। गैर–अनाज फसलों के साथ जुड़े जोखिमों और ऋण का प्रबंधन करने के लिये नवाचारी उपायों को अपनाना चाहिये ताकि इसका लाभ लघु जोत धारकों को मिल सके।पशुधन का भारत की कृषि जीडीपी में 30% योगदान है, अत: बाजार तथा पशुधन के मध्य भी बेहतर समन्वय बनाने की आवश्यकता है। अंतर–राज्य समन्वय, कृषि राज्य सूची का विषय है, अत कृषि क्षेत्र में बेहतर अंतर–राज्य समन्वय को लागू किया जाना चाहिये। कृषि क्षेत्र में नवीन सुधारों को लागू करने से कृषि उत्पादकों, मध्यस्थों तथा उपभोक्ताओं के मध्य बेहतर समन्वय हो पाएगा तथा लघु जोतधारकों को भी अपने उत्पादों पर बेहतर रिटर्न मिल सकेगी तथा इससे भूगोल द्वारा उत्पन्न सीमाएँ महत्त्वहीन हो जायेगी। आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान संकट के कगार पर होने के मुख्य कारण, मिलों द्वारा गन्ने का बकाया भुगतान न किए जाने के साथ–साथ अनियमित मानसून ने किसानों के लिए स्थिति को गंभीर बना दिया है।

रामबीर की पत्नी मंजू राठी अपने मृत पति की फोटों के साथ

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की आत्महत्या की घटनाएं अपेक्षाकृत हाल ही में सामने आई हैं। लेकिन इस साल बागपत, बिजनौर और शाहजहांपुर जिलों से कई मामले सामने आए हैं। फोटो रमेश पठानिया/ मिंट 28 2024 अगस्त

की रात 1.30 बजे 40 वर्षीय गन्ना किसान रामबीर राठी ने देसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के टिकरी गांव के राठी ने कुछ दिन पहले ही पिछले साल लिए गए 80,000 रुपये के बैंक लोन को चुकाने के लिए अपनी दो भैंसें बेची थीं । लेकिन बकाया चुकाने के बाद भी कोई भी बैंक उन्हें नया लोन देने को तैयार नहीं था। वहीं, चीनी मिलों पर पिछले साल के गन्ने की बिक्री का 1.53 लाख रुपए बकाया है। और इस साल मानसून की खराब बारिश के कारण उन्हें अपनी गन्ने की फसल को अतिरिक्त सिंचाई उपलब्ध करानी पड़ी। तंगी के कारण राठी को बहुत तकलीफ हो रही थी और वह हताश होकर स्थानीय साहूकार या साहूकार के पास गया, जहाँ से उसे 3% प्रति माह या 36% वार्षिक ब्याज पर पैसे उधार लेने पड़े। उसे अपने बीमार पिता के इलाज के लिए पैसे भी जुटाने थे और अपने बच्चों की स्कूल फीस भी भरनी थी। राठी पर दबाव बढ़ गया। रामबीर की पत्नी मंजू राठी ने कहा, वह बहुत चिंतित था। हमारे पास सिर्फ 700 रुपये बचे थे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह आत्महत्या कर लेगा।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की आत्महत्या की प्रवृत्ति तुलनात्मक रूप से हाल ही की है। लेकिन इस साल बागपत, बिजनौर और शाहजहांपुर जिलों से कई मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के सूखे और बंजर जिलों के विपरीत, जो संकट के कारण पलायन और कभी–कभार आत्महत्याओं के लिए जाने जाते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या हरित प्रदेश अपने समृद्ध किसानों के लिए जाना जाता है जो गन्ने की फसल पर फलते–फूलते हैं। आत्महत्याएं सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र (विदर्भ क्षेत्र), आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वर्षा आधारित कपास उगाने वाले क्षेत्रों से जुड़ी हैं। 2013 में, भारत में 11,744 किसानों की आत्महत्याओं में से 44% आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में थीं इसकी तुलना में, यूपी में 750 किसान आत्महत्याएँ दर्ज की गईं (देश में कुल किसान आत्महत्याओं का 6.4%)। किसान जागृति मंच के अध्यक्ष और लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर सुधीर पंवार ने कहा, उत्तर प्रदेश में किसानों की आत्महत्या के ज्यादातर मामले बुंदेलखंड और राज्य के पूर्वी इलाकों में होते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाल ही में ऐसी घटनाएँ हुई हैं, जहाँ भारी कर्ज, कम मानसून और गन्ने के बकाए ने किसानों की आर्थिक बदहाली को और बढ़ा दिया है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हताश किसान, पहली नजर में बागपत के खेत इस जिले के किसान समुदाय में व्याप्त घबराहट को नहीं दर्शाते। सूखे खेतों की जगह, हरियाली के किनारे नजर आते हैं। लेकिन नजदीक से देखने पर पता चलता है कि गन्ने की पत्तियाँ मुरझा रही हैं और धान की फसल बहुत छोटी है। किसानों ने जितना बचाया जा सकता था, बचा लिया है और अब वे सबसे बुरे हालात के लिए तैयार हैं।

धर्मपाल सिंह का मामला लें, जो अपने छोटे भाई के साथ मिलकर बामनौली गांव में 7 एकड़ जमीन पर गन्ना उगाते हैं। सिंह के लिए यह साल बद से बदतर होता चला गया। बारिश नहीं हुई और उन्हें गन्ने की फसल को सूखने से बचाने के लिए डीजल पंप सेट चलाने के लिए अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ा। 3 लाख रुपये के बैंक ऋण के अलावा, सिंह को अतिरिक्त सिंचाई और उर्वरकों के लिए 1 लाख रुपये उधार लेने पड़े। हालात और भी बदतर हो गए,

चीनी मिलों ने पिछले साल गन्ने की बिक्री से सिंह को मिलने वाले 6 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया। 30 अगस्त की दोपहर को 62 वर्षीय सिंह ने अपने गांव के पास बहने वाली कृष्णा नदी में डूबकर आत्महत्या करने का फैसला किया। लेकिन इस मानसून में लंबे समय तक सूखे के कारण पानी बहुत गहरा नहीं था और नदी के किनारे भैंस चरा रहे एक चरवाहे ने उनकी जान बचाई। सिंह के बेटे दीपक सिंह कहते हैं, एक घंटे के लिए जनरेटर किराए पर लेने में ₹ 400 का खर्च आता है। गन्ने को हर 15 दिन में पानी की जरूरत होती है और हमने फसल को बचाने के लिए करीब ₹ 70,000 खर्च किए। उन्होंने कहा कि बिजली की आपूर्ति अनियमित है, किसानों को कुछ दिनों में दो–तीन घंटे बिजली मिलती है और कई दिनों तक बिल्कुल भी नहीं। फिर भी परिवार को बिना मीटर वाले बिजली कनेक्शन के लिए हर महीने ₹1,390 का भुगतान करना पड़ता है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब पड़ोसी गांव खानपुर मुहारी में एक किसान बिजली के खंभे पर चढ़कर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था, तो उसकी यह हताश करने वाली कोशिश भी बेकार गई वहां उसे बिजली का झटका देने के लिए बिजली ही नहीं थी और अंततः पांच घंटे इंतजार करने के बाद उसने हार मान ली।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून की कमी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के सामने वित्तीय संकट की तात्कालिक वजह इस साल का खराब मानसून है। जुलाई 2024 में देश में बारिश की कमी 43% के शिखर पर पहुंच गई थी, जो अब घटकर 11% रह गई है। हालांकि, यह आंकड़ा व्यापक क्षेत्रीय असमानताओं को छुपाता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, चालू खरीफ सीजन में, 14 2024 सितंबर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की कमी 53% थी। उत्तर प्रदेश के 71 जिलों में से 41 में 20–59% के बीच मानसून की कमी दर्ज की गई, जबकि 27 जिलों में 60% से अधिक की कमी के साथ कम बारिश दर्ज की गई। राज्य सरकार में कृषि के प्रमुख सचिव देबाशीष पांडा ने कहा, 95% क्षेत्र में बुवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन फसलों का बचना चिंता का विषय है। पश्चिमी यूपी में, किसान किसी तरह ट्यूबवेल और नहरों जैसी सिंचाई सुविधाओं से काम चला रहे हैं, लेकिन हम पैदावार के बारे में अनिश्चित हैं। असैफपुर खरखरी गांव के किसान हरबीर सिंह ने बताया कि देरी और कम मानसून की वजह से पैदावार पर क्या असर पड़ता है। गन्ने का बकाया न मिलने की वजह से सिंह ने इस साल धान उगाने का फैसला किया। उन्होंने जुलाई 2024 के पहले हफ्ते में नर्सरी तैयार कर ली, लेकिन चावल के पौधे खेतों में रोपने के लिए उन्हें एक महीने तक इंतजार करना पड़ा। महीने भर पुराने पौधों को रोपने का मतलब है कि पौधे उस मिट्टी में अच्छी तरह से समायोजित नहीं हो पाते जो उन्हें पोषण देती है। देर से बुआई का मतलब है देर से कटाई और चूंकि सितंबर 2024 तक तापमान ठंडा होने लगता है, इसलिए फसल को अपेक्षित नमी नहीं मिल पाती जिससे उपज कम हो जाती है। सिंह ने कहा, मेरी धान की उपज सामान्य से 25–30% कम होगी। मुझे नहीं पता कि कर्ज कैसे चुकाऊंगा शायद मुझे अपनी जमीन बेचनी पड़े। सिंह ने 2 एकड़ जमीन पर धान बोया है और उन पर बैंकों और साहूकारों का 4.5 लाख रुपये का कर्ज है। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार उन जिलों में सूखा घोषित कर सकती है, जहां पर बारिश कम हुई है। वह इस प्रकार है।

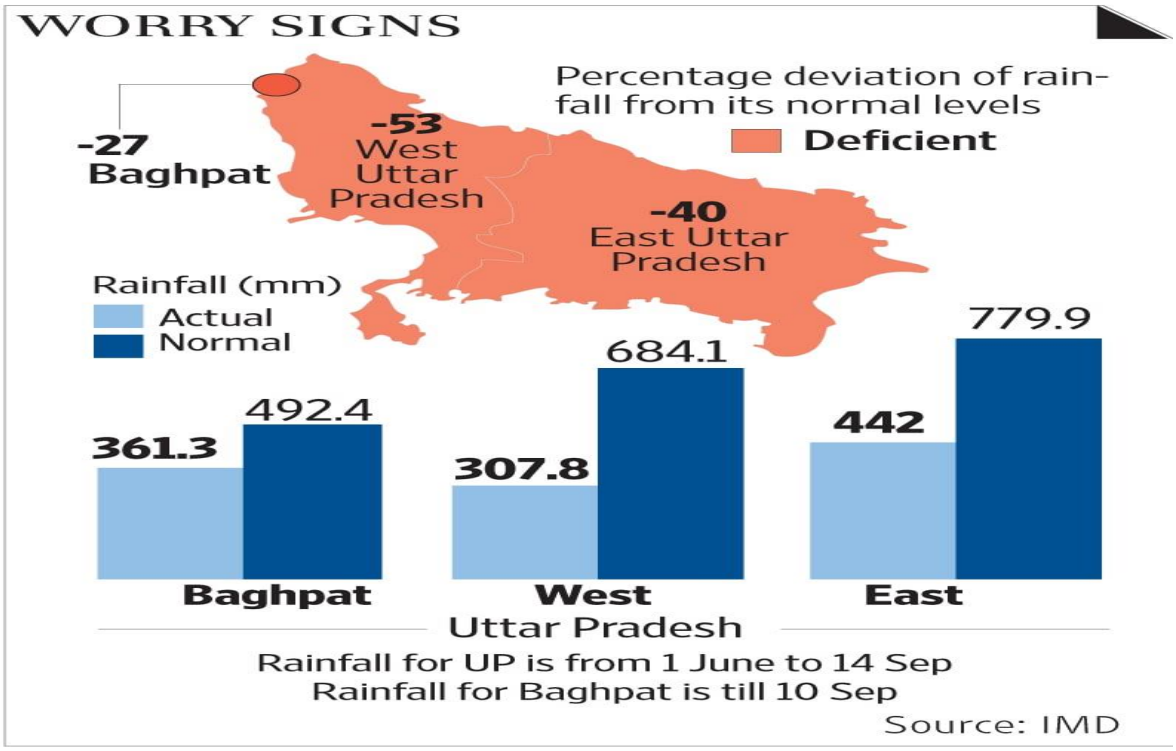

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व कृषि वैज्ञानिक और अखिल भारतीय किसान कल्याण संघ के महासचिव कृष्ण पाल तोमर ने कहा, यूपी या देश के किसी भी हिस्से में बारिश के आंकड़ों का औसत निकालने से किसानों की परेशानी छिप जाती है। उदाहरण के लिए, बागपत में लंबे समय तक सूखे की स्थिति रही और बीच–बीच में बारिश होती रही (10 सितंबर 2024 तक मौसमी घाटा बागपत के लिए लंबी अवधि के औसत का 27% है सूखा घोषित करने के लिए आवश्यक 50% की कमी से भी कम)। जब एक दशक से भी पहले 2014 में जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था, तो किसानों को 20–500 रुपये की मामूली वित्तीय सहायता मिली थी। बागपत में एक हेक्टेयर जमीन के मालिक तोमर को एक साल बाद 19 जून 2016 को 360 रुपये का चेक मिला था। 8 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने अगले वर्ष मार्च 2016 तक सभी सूखा प्रभावित जिलों में राजस्व वसूली रोकने के सरकार के फैसले की घोषणा की। तोमर कहते हैं, इसका मतलब है कि एक हेक्टेयर से ज्यादा जमीन वाले किसानों को कुछ सौ रुपए की राहत मिलेगी। इसके बजाय सरकार को किसानों की सिंचाई लागत वहन करनी चाहिए और गन्ने के बकाए का भुगतान तेजी से करना चाहिए।

4 अगस्त 2016 को केंद्र सरकार ने मानसून की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए 100 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ 50%डीजल सब्सिडी की घोषणा की थी। हालांकि, इस योजना का मतलब धर्मपाल सिंह जैसे किसानों के लिए बहुत कम था इसका लाभ तभी उठाया जा सकता था जब किसी जिले में 50% कम बारिश होती है या उसे सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है। और तब भी केंद्र का योगदान 1,050 रुपये प्रति हेक्टेयर तक सीमित है।

गन्ने के बकाये के भुगतान के अलावा, मानसून की बेरुखी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। यह राज्य देश में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 11 सितंबर 2024 तक, उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर किसानों का 4,557 करोड़ रुपये बकाया है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री तोमर जी भारत सरकार ने इस तथ्य पर अपनी निराशा व्यक्त की कि हालांकि किसानो का सरकार ने नरम ऋण दिए हैं, निर्यात सब्सिडी बढ़ाई है और आयात शुल्क बढ़ाया है, लेकिन मिल मालिक अपना बकाया चुकाने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा है, कि केंद्र ने राज्य को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया है। चीनी मिलों का तर्क है कि बकाया भुगतान न होने का कारण यूपी सरकार द्वारा घोषित 280 रुपये प्रति क्विंटल का उच्च राज्य–सलाह मूल्य और चीनी बिक्री से कम प्राप्ति है, जिसके कारण चीनी मिलें घाटे में चल रही हैं।

उत्तर प्रदेश चीनी मिल संघ के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, हम किसानों को अपनी देनदारियों से इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन न तो केंद्र और न ही राज्य सरकार गन्ने की कीमतों को चीनी की कीमतों से जोड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, राज्य में 75% गन्ना पेरने वाली 66 मिलों ने सरकार को बंद करने का नोटिस भेजा है और हम अगले सीजन में परिचालन फिर से शुरू नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगला पेराई सत्र 15 नवंबर के आसपास शुरू होगा। अगर मिल मालिक पेराई शुरू करने से इनकार करते हैं, तो इसका मतलब है कि गन्ना किसानों के लिए संकट और बढ़ जाएगा।

सरकार घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देगी, चीनी निर्यात प्रतिबंधों के बीच वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी सरकार चीनी आयात पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से दीर्घकालिक भंडार बनाने के लिए कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहनों पर विचार किया जा रहा है।

पृथ्वी के खनिजों का चित्र

चीन के निर्यात प्रतिबंधों के बीच भारत ने चुम्बकों के दीर्घकालिक भंडार की योजना बनाई है। इस घटनाक्रम से अवगत लोगों के हवाले से रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार घरेलू उत्पादन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके चुम्बकों के दीर्घकालिक भंडार बनाने के लिए कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है। यह भंडार चीन से आपूर्ति पर भारत की निर्भरता को कम करने में मदद करेगा, जिसने 4 अप्रैल से खनिजों के निर्यात पर रोक लगा दी है, जिससे दुनिया भर के प्रमुख उद्योगों, विशेष रूप से ऑटो उद्योग में चिंता बढ़ गई है।

निष्कर्ष, वर्तमान में, चीन इन चुम्बकों का 90% प्रसंस्करण करता है, जिनका उपयोग स्वच्छ ऊर्जा और रक्षा जैसे उद्योगों में भी किया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली वर्तमान एनडीए सरकार का लक्ष्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना है और वह कंपनियों को उत्पादन आधारित राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करने की संभावना तलाश रही है। आयात लागत के बराबर प्रोत्साहन घटनाक्रम से अवगत एक व्यक्ति के हवाले से कहा गया है कि भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा तैयार की गई योजना में घरेलू स्तर पर उत्पादित चुम्बकों की अंतिम लागत और चीनी आयात की कीमत के बीच के अंतर को आंशिक रूप से वित्तपोषित करने की योजना है।इस योजना का उद्देश्य लागत में समानता लाना और स्थानीय मांग को बढ़ाना है। हालांकि, इस योजना के लिए धन अभी तय नहीं हुआ है क्योंकि सरकार अगले सप्ताह उद्योग अधिकारियों से मिल सकती है, रिपोर्ट में कहा गया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- खोबरागड़े एस, मोहपात्रा एस, महानंदा एम, सिंह ए और सिंह ए. 2021. एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) एक समीक्षा। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक प्लांट्स 8(3) 181–87
- कुमार एस, सुभाष एन, सिंह एस एस और डे ए. 2012. अर्ध–आर्द्र जलवायु वातावरण में छोटे और सीमांत किसानों के लिए विभिन्न एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) का मूल्यांकन। प्रायोगिक कृषि 48: 399–413
- मंजूनाथ एस बी, शिमूर्ति डी, सत्यारेड्डी एस ए, नागराज एम वी और बसवेशा के एन. 2014. एकीकृत कृषि प्रणाली–एक समग्र दृष्टिकोण एक समीक्षा। जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंसेज 3: 30–38.
- मीना एल आर, कोचेवाड़ एस ए, प्रुस्टी ए के, भानु सी, कुमार एस, मीना ए एल और सिंह एस पी. 2022. उत्तर प्रदेश के छोटे खेत धारकों के लिए टिकाऊ एकीकृत कृषि प्रणाली
- भारतीय कृषि विज्ञान जर्नल 92 मीना एल आर, मलिक एस, मिश्रा डी, नाथ ए, प्रुस्टी ए के, भानु सी और सिंह ए. 2022 बी. उत्तर प्रदेश के छोटे परिवारों की आजीविका के लिए एक सफल आईएफएस

- भारतीय कृषि विज्ञान जर्नल 92 पंवार ए एस, शमीम एम और रविशंकर एन. 2016. बदलती जलवायु के तहत एकीकृत कृषि प्रणालियों के माध्यम से कृषि परिवारों की खाद्य और पोषण सुरक्षा प्राप्त करना (इन) 4जी इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस विस्तारित सारांश 57–62A
- राठौर वी एस, तंवर एस पी एस, कुमार पी और यादव ओ पी. 2019. एकीकृत कृषि प्रणाली शुष्क और अर्ध–शुष्क क्षेत्रों में स्थिरता की कुंजी। भारतीय कृषि विज्ञान पत्रिका 89(2) 181–92
- राठौर एस एस, बाबू एस, शेखावत के, सिंह आर, यादव एस के, और सिंह वी के. 2022.
- कृषि में हरित अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा सह कार्बन–कुशल पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ उत्पादन प्रणाली का डिजाइन तैयार करना। सतत ऊर्जा प्रौद्योगिकी और आकलन 52
- सिंह ए और श्रीवास्तव आर एस एल. 2003. उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन में वृद्धि और अस्थिरता एक क्षेत्रीय अध्ययन। भारतीय कृषि अर्थशास्त्र जर्नल 58(2)279–82-
- सिंह आई. 2017. गेहूं और गन्ने में फरो सिंचित उठी हुई क्यारी प्रणाली प्रणाली को बढ़ाने के लिए